न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकाहनुमानगढ

पीठासीन अधिकारीः-(मांगी लाल) RAS
वादपत्र अन्तर्गत धाराः- 88 आर.टी.ए.
प्रकरण संख्याः- 282/2025

जैलाराम पुत्र श्री दौलाराम जाति सुथार निवासी बडबिराना, तहसील नोहर, जिला हनुमानगढ़ हाल आबाद जोरावरपुरा, तहसील व जिला हनुमानगढ़।

-:वादी

बनाम्

1 पृथ्वी सिंह पुत्र श्री अमर सिंह जाति सुथार, निवासी बडबिराना, तहसील नोहर, जिला हनुमानगढ़।
2 प्रकाश पुत्र श्री अमर सिंह जाति सुथार, निवासी बडबिराना, तहसील नोहर, जिला हनुमानगढ़।
3 मनोहरलाल पुत्र श्री अमर सिंह जाति सुथार, निवासी बडबिराना, तहसील नोहर, जिला हनुमानगढ़।
4 विद्यादेवी पत्नी श्री अमर सिंह जाति सुथार, निवासी बडबिराना, तहसील नोहर, जिला हनुमानगढ़।

-:प्रतिवादीगण

उपस्थित :-

1 श्री विक्रमसिंह राठौड़ अधिवक्ता - वादीगण
2 श्री तरसेम सिंह अधिवक्ता - प्रतिवादी सं. 1 ता 4

-:निर्णयः-

दिनांक ....

अधिवक्ता वादी द्वारा यह राजस्व वादपत्र अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तुत किया जिसके अनुसार यह कि वादी व प्रतिवादीगण का प्रमाणिक व पंजीबद्ध पता वाद-पत्र के शीर्षक में अंकितानुसार है।

यह कि वादीगण व प्रतिवादीगण एक ही संयुक्त परिवार के सदस्य है। वादी व प्रतिवादीगण के नाम संयुक्त खाता में निम्नलिखित विवरण की कृषि भूमि दर्ज राजस्व अभिलेख है :-

क- चक 4 एचएलएम तहसील हनुमानगढ़ जमाबंदी सम्वत् 2074-2077 के खाता संख्या 4/4, के पत्थर नंबर 126/380 (20) के किला नंबर 4, 5/1, 5/2, 6/1, 6/2, 7, 14, 15/1, 15/2, 16/1, 16/2, 17, 24, 25/1, 25/2 कुल 2.530 हैक्टेयर कमाण्ड मय गैरमुमकिन खाला। प्रमाणित प्रतिलिपि जमाबन्दी संलग्न वादपत्र है।

यह कि वादपत्र की चरण संख्या 2 में वर्णित कृषि भूमि पैतृक सम्पति है जिसमें वादी का 1/2 हिस्सा तथा प्रतिवादीगण संख्या 1 से 4 का बहिस्सा बराबर 1/2 हिस्सा दर्ज है। इस कृषि भूमि के अलावा वादी व प्रतिवादीगण के नाम गांव बडबिराना तहसील नोहर के खसरा नंबर 395/1 की 0.215 है0, खसरा नंबर 396/2 की 2.314 है0 ...529 है0 कृषि भूमि दर्ज थी। वादी व प्रतिवादीगण ने उक्त समस्त कृषि भूमि का आपसी ... बंटवारा किया हुआ है तथा मुताबिक बंटवारा वादपत्र की चरण संख्या 2 में वर्णित कृषि ... वादी को प्राप्त हुई है। गांव बडबिराना की कृषि भूमि में वादी ने अपना समस्त हक व हिस्सा प्रतिवादीगण संख्या 1 के पक्ष में तर्क कर दिया है, इस कारण गांव बडबिराना की कृषि भूमि प्रतिवादीगण संख्या 1 से 4 के नाम दर्ज हो चुकी है तथा वादपत्र की चरण संख्या 2 में वर्णित कृषि भूमि में प्रतिवादीगण संख्या 1 से 4 ने अपना हक व हिस्सा वादी के पक्ष में तर्क किया हुआ है, इस कारण वादी

Signature Not Verified
Digitally signed by Mangi Lal
Date: 2025.07.22 14:39:26 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी हनुमानगढ़

वादपत्र की चरण संख्या 2 में वर्णित कृषि भूमि का एकल खातेदार है लेकिन वादपत्र की चरण सख्ंया 2 में वर्णित कृषि भूमि अभी तक वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 से 4 के नाम दर्ज है, जिस कारण वादी के खातेदारी अधिकारों पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है व इस भूमि पर किसी प्रकार का लाभ प्राप्त करने से वंचित रहना पड़ रहा है। इस कारण वादी इस आशय की घोषणा प्राप्त करने का अधिकारी व दावेदार है कि वादी चक 4 एचएलएम तहसील हनुमानगढ़ जमाबंदी सम्वत् 2074-2077 के खाता संख्या 4/4 के पत्थर नंबर 126/380 (20) के किला नंबर 4, 5/1, 5/2, 6/1, 6/2, 7, 14, 15/1, 15/2, 16/1, 16/2, 17, 24, 25/1, 25/2 कुल 2.530 हैक्टेयर कृषि भूमि का खातेदार काश्तकार है तथा इस आशय की प्रविष्टि राजस्व अभिलेख में दर्ज करवाने का अधिकारी व दावेदार है।

यह कि वादी ने प्रतिवादीगण से अर्सा दो दिवस पूर्व निवेदन किया कि वे उपरोक्त कृषि भूमि की मुताबिक घरू बंटवारा अनुसार वादी के नाम खातेदारी अधिकारों की घोषणा करवाकर राजस्व अभिलेख में प्रविष्टि दर्ज करवा देवें लेकिन वे इन्कार हो गया। यही वाद कारण है।

यह कि विवादग्रस्त आराजी तहसील हनुमानगढ़ में स्थित है, इस कारण वादपत्र माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार का है जो उचित न्यायशुल्क पर अन्दर मियाद प्रस्तुत किया जा रहा है।

अतः वादपत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादपत्र वादी बहक वादीगण विरूद्व प्रतिवादीगण निम्न प्रकार से डिक्री फरमाया जावें :-

क- कि घोषणा फरमाई जावें कि चक 4 एचएलएम तहसील हनुमानगढ़ जमाबंदी सम्वत् 2074-2077 के खाता संख्या 4/4 के पत्थर नंबर 126/380 (20) के किला नंबर 4, 5/1, 5/2, 6/1, 6/2, 7, 14, 15/1, 15/2, 16/1, 16/2, 17, 24, 25/1, 25/2 कुल 2.530 हैक्टेयर कृषि भूमि का वादी खातेदार काश्तकार है तथा इस आशय की प्रविष्टि राजस्व अभिलेख में दर्ज करवाने के अधिकारी व दावेदार है।

ख- कि खर्चा मुकदमा वादी को प्रतिवादीगण से दिलाया जावें।

ग- कि अन्य कोई अनुतोष जो न्यायोचित हो, वादी के पक्ष में जारी फरमाया जावें।

» वाद-पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया तलबी प्रतिवादी जारी की गई। प्रतिवादी सं. 1 ता 4 की ओर से अधिवक्ता श्री मदन गोदारा उपस्थित। वादी व प्रतिवादी सं. 1 ता 4 ने दावा में राजीनामा पेश किया जो बाद तस्दीक शामिल पत्रावली किया। वाद पत्र का कोई विरोध नही होने से तनकीयात कायम नही की गई। उभयपक्ष बहस सुनी गई जिन्होने दौराने बहस उभय पक्ष निवेदन किया कि वाद पत्र मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जावे। पत्रावली का अवलोकन किया गया व बहस उभयपक्ष पर मनन किया गया। उभय पक्ष द्वारा दावा डिक्री किए जाने का निवेदन किया। उपलब्ध दस्तावेजों व सहमति के आधार पर वाद, वादी स्वीकार कर डिक्री किया जाना उचित प्रतीत होता है।

-:क्रियात्मक आदेश:-

Signature Not Verified
Digitally signed by Mangi Lal
Date: 2025.07.22 14:39:26 IST
Reason: SelfAttested

अतः वाद वादी निर्णित किया जाता है व मुताबिक राजीनामा [illegible] जाती है कि:- चक 4 एचएलएम तहसील हनुमानगढ़ जमाबंदी सम्वत् 2074-2077 के खाता संख्या 4/4 के पत्थर नंबर 126/380 (20) के किला नंबर 4, 5/1, 5/2, 6/1, 6/2, 7, 14, 15/1, 15/2, 16/1, 16/2, 17, 24, 25/1, 25/2 कुल 2.530 हैक्टेयर का [illegible] जैलाराम को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है इसी अनुसार खातेदार प्रतिवादी सं. 1 ता 4 का नाम उक्त खाता से कलमजन किया जावे। पर्चा डिक्री अलग से जारी हो। तहसीलदार हनुमानगढ को आदेशित किया जाता है कि यदि कोई स्थगन/न्यायिक विवाद आदि नहीं हो व घोषित खातेदार काश्तकार की

उपखण्ड अधिकारी हनुमानगढ़

५

कब्जाकाश्त हो तो, उक्त आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामदगी की जावे। भूमि की किस्म (यथा नहरी/बारानी/गै.मु./गैर खातेदारी/आराजीराज आदि) पूर्वानुसार यथावत् रखी जावे। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे। राजीनामा डिक्री का अभिन्न अंग रहे। पत्रावली फैसल शुमार कर, नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 23.06.2025 को मेरे हस्ताक्षर व कार्यालय मुद्रा से लिखवाया जाकर, सरे इजलास सुनाया गया।

नोटः– रकबा रहन हो तो बाद रहन के निर्णय की पालना की जावें।

(मांगी लाल) RAS
सहायक कलक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
हनुमानगढ

Signature Not Verified

Digitally signed by Mangi Lal
Date: 2025.07.22 14:39:26 IST
Reason: SelfAttested